

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-01ए/2013
संस्थापित दिनांक-05.01.2013
फाईलिंग नं. 233504000422013

- 1- पारिसलाल पिता साहबलाल, उम्र 52 वर्ष,
- 2- बलदेव पिता साहबलाल, उम्र 45 वर्ष,
दोनों-पेशा नौकरी, नि0 तोरनवाड़ा,
तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।

-----वादीगण

-:: विरुद्ध ::-

- 1- कौशलया बेवा गिरधारी, उम्र 58 वर्ष, पेशा गृहणी,
- 2- सुखराम पिता गिरधारी, उम्र 33 वर्ष, पेशा रेल्वे कर्मचारी,
- 3- गुणीराम पिता गिरधारी, उम्र 33 वर्ष, पेशा कृषि,
- 4- गोविन्द पिता गिरधारी, उम्र 25 वर्ष,
प्रति0क्रं. 1 से 4 सभी निवासी ग्राम तोरनवाड़ा,
तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 5- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल म0प्र0।

-----प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 31.08.2016 को घोषित)

- 1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हेक्टे. मौजा तोरनवाड़ा, प0ह0नं0 2/4 रा.नि.मं. आमला स्थित कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे की 0.004 हेक्टे0 कृषि भूमि उसके स्वत्व व आधिपत्य की होकर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कब्जे को हटाए जाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।
- 2- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व, स्वामित्व की खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे कृषि भूमि मौजा ग्राम तोरनवाड़ा, प0ह0नं0 2/4 रा0नि0मं0 आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि का सीमांकन

हेतु वादी द्वारा न्यायालय तहसीलदार आमला को आवेदन देने पर तहसीलदार आमला के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06/05/12 को वादीगण की विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि का पड़ोसी कास्तकार एवं प्रतिवादी क्रं 1 के पति 2 के पिता को सूचना देकर विधिवत् सीमांकन किया गया। सीमांकन करने पर खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 कृषि भूमि में से 0.004 हे0 कृषि भूमि पर प्रतिवादी क्रं 1 के पति तथा प्रतिवादी क्रं 2 से 4 के पिता गिरधारी का अवैधानिक रूप से कब्जा पाया गया तथा पटवारी द्वारा मौके पर नक्शा स्थल पंचनामा, फिल्ड बुक प्रतिवेदन तैयार किया गया।

3— आगे वादीगण ने अपने वादपत्र में बताया है कि वादीगण ने उसके नाम के वर्णित विवादित कृषि भूमि के सीमांकन के समय हल्का पटवारी एवं मौजूद सरपंच के समक्ष मृतक गिरधारी के वारसान कौशल्या बेवा गिरधारी, गुणीराम पिता गिरधारी, गोविन्द पिता गिरधारी, अशोक वल्द सुखलाल, लता पुत्री गिरधारी से उनका अवैध अनाधिकृत कब्जा होने के लिए कहा, तो उन्होंने हटाने से मना किया और लड़ाई झगड़ा करने तथा हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन कर अवैध भूमि कब्जे वाली भूमि पर गाड़ी गई लकड़ी की खूटीयों को पटवारी के जाने के बाद मौके से उखाड़ कर फेंक दिया और वादी के साथ गाली गलौच करने लगे। वादी ने विवादित भूमि खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि प्रतिवादी क्रं 1 से 4 के अवैधानिक व आपराधिक कृत गैरकानूनी कब्जे की रकबा 0.004 हे0 भूमि का उसके स्वत्व की होकर उक्त भूमि का कब्जा हटाए जाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर वादीगण ने प्रस्तुत दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

4— प्रतिवादी क्रं. 1 से 4 के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जबाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रं. 1 से 4 तोरनवाड़ा के निवासी हैं। प्रतिवादी क्रं. 2 जुन्नारदेव में रेल्वे में नौकरी करता है। तथा जुन्नारदेव में रहता है। प्रतिवादी क्रं. 3 जोधपुर में रहकर नौकरी करता है। वादीगण, प्रतिवादीगण की विधवा माँ को अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा कर परेशान करते रहते हैं जिसकी कई बार प्रतिवादीगण की माँ प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा थाना आमला में शिकायत की गई, परन्तु थाना आमला द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से उनका प्रतिवादीगण को बिना वजह परेशान किये जाने से उनका सिलसिला निरंतर रहता है। वादीगण के द्वारा उनकी भूमि पर निर्मित मकान की बाउन्ड्रीवाल बहुत पहले से बनी हुई थी जिसे उन्होंने खुद तोड़कर गिरा दिया तथा प्रतिवादीगण की अन्य सह-खातेदारों के साथ शामिल शरीक भूमि खसरा नं. 267 रकबा 0.170 हे0 के भू-भाग को अवैध रूप से अपनी बताकर जबरन प्रतिवादीगणों की शामिलाली भूमि हड़पना चाहते हैं।

5— आगे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में व्यक्त किया है कि विवादित भूमि से लगी हुई भूमि खसरा नं. 267 रकबा .170 हे. प्रतिवादीगण एवं अन्य सह खातेदारों की शामिल सरीक भूमि है। उक्त भूमि के समस्त भू स्वामियों को वादीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार के रूप में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद संयोजित नहीं किया है जिससे वादीगण का दावा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी प्रचलन योग्य नहीं रह जाता है।

6— प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया है कि वादीगण के वादग्रस्त भूमि के संबंध में तथा कथित सीमांकन दिनांक 06/05/2012 के आधार पर यह दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण को उक्त तथा कथित सीमांकन की न तो कोई सूचना किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा दी गई और न ही उनके समक्ष कोई सीमांकन कार्यवाही उनके जानकारी में हुई सबब तथाकथित सीमांकन दिनांक 06/05/2012 की संपूर्ण कार्यवाही इन प्रतिवादीगणों के विरुद्ध बंधनकारक नहीं होकर उक्त अवैध सीमांकन कार्यवाही के आधार पर वादीगण द्वारा इन प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत वाद उनके विरुद्ध कोई वाद कारण नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 268/3 का राजस्व रिकार्ड में पृथक नक्शा नहीं है। संपूर्ण खसरा नं. 268 का एकजाई नक्शा है। ऐसी स्थिति में बिना विभक्त नक्शे के किया गया तथा कथित सीमांकन स्वयं की विधि सम्मत नहीं होकर प्रतिवादीगण पर बंधनकारक नहीं है। उक्त आधारों पर वादीगण का दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

7— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1— “क्या प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वत्व, आधिपत्य की खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 मौजा, तोरनवाड़ा, तह0 आमला स्थित कृषि भूमि में से 0.004 हे0 में अवैध कब्जा कर लिया है।

2— “सहायता एवं व्यय?

अतिरिक्त वाद प्रश्न

3—“क्या वादी विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

4—“क्या वादी विवादित भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1 का निराकरण::—

8— वादी साक्षी पारिसलाल (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम तोरनवाडा में स्थित हैं। जिसका खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 है, जो कि राजस्व अभिलेख में उसके तथा उसके भाई बलदेव के नाम से दर्ज है। उसी प्रकार वादी साक्षी बलदेव (वा0सा0-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके नाम की ग्राम तोरनवाडा में खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसका वह भूमि स्वामी है। उक्त दोनों वादी साक्षियों को प्रतिवादीगण की ओर से उक्त साक्ष्य के संबंध में खंडन नहीं किया गया है।

9— साथ ही वादीगण ने अपने समर्थन में प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 खसरा, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-12 प्रस्तुत किया है। जिसमें खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि हे0 भूमि वादी पारिसलाल एवं बलदेव के नाम से भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्र0पी0 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की है जिसमें क्रेता पारिसलाल, बलदेव वल्द साहबलाल जाति कुन्बी का नाम खसरा नं. 268/2 कुल रकबा 0.020 हे0 में से 0.01 हे0. भूमि दिनांक 05/12/1994 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में यह भी उल्लेख है कि पूर्ण अधिकार कब्जा क्रेता को कर दिया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यही माना जायेगा कि वादीगण विवादित भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी है।

10— यहां पर यह मुख्य रूप से देखा जाना है कि क्या वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं. 263/3 रकबा 0.018 हे0 में से 0.004 हे0 भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है।

11— वादी साक्षी पारिसलाल (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 05/02/12 को वादोक्त कृषि भूमि 268/3 रकबा 0.018 हे0 पड़ोसी

कास्तकार प्रतिवादीगण को विधिवत् सूचना देकर सीमांकन किया गया। सीमांकन के पश्चात् प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि हल्का पटवारी द्वारा विधिवत् सीमांकन करने के पश्चात् 0.004 हे० पर प्रतिवादीगण कं 1 से 4 का अवैध कब्जा पाया गया। उक्तानुसार पटवारी द्वारा मौके पर नक्शा स्थल पंचनामा, फिल्डबुक प्रतिवेदन तैयार किए गए तथा मौके पर उपस्थित प्रतिवादीगण कौशल्या बेवा गिरधारी, गुणीराम वल्द गिरधारी, गोविन्द वल्द गिरधारी के अलावा दो अन्य अशोक वल्द सुखलाल तथा लता पुत्री गिरधारी भी उपस्थित थे।

12— किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसने कितना लम्बा-चौड़ा प्लॉट खरीदा था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि रजिस्ट्री के समय गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है फिर उसे खरीदे प्लॉट की लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने जो प्लॉट खरीदा था उसकी चतुरसीमा नहीं मालूम, इसलिए वह उक्त खरीदे प्लॉट की चतुरसीमा नहीं बता सकता है। इस प्रकार इस गवाह को अपनी भूमि की लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है उसकी चतुरसीमा नहीं मालूम है।

13— साथ ही इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में प्रश्न किया गया है कि आपका जो विवादित प्लॉट है उसमें कितनी लंबी एवं चौड़ी जगह में आपका मकान बना हुआ है, तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कितना लंबा एवं कितना चौड़ा मकान बना हुआ है उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसने रामकली की पूरी जमीन खरीदी थी और उसकी जमीन खाली बची हुई थी। इस प्रकार इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं वादी को उसकी भूमि की लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है। वह कितनी जगह पर बना है वह भी नहीं मालूम है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है।

14— साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में व्यक्त किया है कि सीमांकन की सूचना एक सप्ताह पहले कोटवार से मौखिक रूप से भिजवाई थी। तारीख उसे याद नहीं है आप लोग घर पर रहिए वे लोग सीमांकन के लिए आ रहे हैं। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि सीमांकन की कोई लिखित सूचना कोटवार के द्वारा नहीं की गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि पटवारी और आर०आई० ने सीमांकन की लिखित सूचना नहीं दी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे यह नहीं मालूम की वादग्रस्त प्लॉट के सीमांकन सूचना के लिए आर०आई० पटवारी अथवा कोटवार द्वारा कौशल्याबाई, सुखराम एवं गुणीराम को दी या नहीं दी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 21 में व्यक्त किया है कि सीमांकन के बाबत् उसके एवं प्रतिवादीगण के अलावा

किस-किस को सीमांकन किए जाने की सूचना दी गई थी, यह उसे नहीं मालूम उसे कैसे मालूम होगा कि किसको-किसको सीमांकन की सूचना दी गई थी।

15— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 22 में व्यक्त किया है कि उसके सामने चांदा नहीं बनाया था। आगे यह नहीं बता सकता कि कितने चांदे से नपाई की गई थी नपाई कड़ी वाली जरी से की गई थी। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि आपने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कौन-कौन से कागज नपाई के समय बनाए जाने का उल्लेख किया है, जो सीमांकन किया है और कब्जा दिया गया है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि जो सीमांकन किया है और कब्जा दिया है उसके बारे में लिखा गया है जो उन्होंने प्लॉट खरीदा है उसका कब्जा दिलाया जावे, उसके बारे में लिखा है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 24 में व्यक्त किया है कि सीमांकन रिपोर्ट के साथ फिल्डबुक और सीमांकन, नक्शा बनाया गया था जिसमें आर0आई0 और पटवारी साहब ने ले गए थे। यह गवाह स्वयं वादी है और इस गवाह ने सीमांकन कब कराया उसे वह भी नहीं मालूम है और सीमांकन के संबंध में सूचना किस-किस को दी गई वह भी उसे नहीं मालूम है। कोटवार के द्वारा सूचना दिया जाना बताया है, किन्तु लिखित में कोई सूचना नहीं दिया जाना व्यक्त किया है। साथ ही सीमांकन के समय फिल्ड बुक और सीमांकन नक्शा बनाया जाना व्यक्त किया है किन्तु अभिलेख पर फिल्ड बुक और सीमांकन भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि में से 0.004 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है।

16— साथ ही वादीगण ने वाद पत्र की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से अभिवचन किया है कि खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि का पड़ोसी कास्तकार एवं प्रतिवादी क्रं 1 के पति एवं 2 से 4 के पिता का सूचना देकर विधिवत सीमांकन किया गया। साथ ही वादी साक्षी बलदेव ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 की चतुरसीमा जानने के लिए उसके पारिसलाल ने तहसील में आवेदन देकर सीमांकन कराया था सीमांकन के बाद उसकी उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण रकबा 0.004 हे0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया। स्वयं वादी साक्षी पारिसलाल (वा0सा0-1) ने भी अपनी साक्ष्य की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि सीमांकन के पश्चात् प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि में सीमांकन करने के पश्चात् 0.004 हे0 भूमि पर प्रतिवादी क्रं 1 से 4 का अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण अपने वादपत्र की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विधिवत् सीमांकन करने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि में से 0.004 हे0 भूमि पर प्रतिवादी क्रं. 1 से 4 के पिता गिरधारी का अवैधानिक रूप से कब्जा पाया गया जो स्वयं वाद पत्र एवं साक्ष्य में विरोधाभाषात्मक तथ्य स्पष्ट होते हैं और स्वयं वादी

साक्षी बलदेव ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिस समय नपाई हुई उसके पहले गिरधारी मर गया था।

17— प्रतिवादी ने अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत काशीनाथ विरूद्ध जगन्नाथ 2004 (1) एम.पी.व्हीकली. नोट प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार साक्ष्य अभिवचन के अनुरूप नहीं इसके बी संवाद ऐसा साक्ष्य परिक्षणीय अथवा अलंबनीय नहीं। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत मूलचंद वि० राधा शर्मा व अन्य 2006 (11) एम०पी० व्हीकली नोट, अभिवचनों से परे साक्ष्य का परिक्षण नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत म०प्र० राज्य वि० गुलामबाई तथा अन्य 1997 रा.नि.186, जिसके अनुसार अभिवचन के बिना साक्ष्य विचार नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भीमजाटव वि० तेजीबाई तथा अन्य 1997 रा.नि. 121, उक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार वादी स्वयं के व्यय पर सफल हो सकता है वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत जगदीश प्रसाद वि० म०प्र० राज्य तथा एक अन्य 2009 रा०नि० 161, किसी विवादित भूमि की अवस्थिति उपबंधों के अनुसार अनिश्चित होना चाहिए। उक्त न्याय दृष्टांत के अभिवचनों अनुसार प्रतिवादी पक्ष को लाभ प्राप्त होता है, जो कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहे गये, अभिवचन अनुसार साक्ष्य में अभिवचन नहीं है।

18— जबकि साक्षी आनंदराव मोहबे (अ०सा०-4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पारिसलाल पिता साहबलाल जिसकी कृषि भूमि खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे० भूमि जो कि ग्राम तोरनवाड़ा तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित है सीमांकन हेतु ग्राम तोरनवाड़ा के कोटवार के मद से उक्त भूमि के आस-पास के किसानों को नोटिस भिजवाया था नोटिस देने के उपरांत उसने आस-पास के लोगों का दिया कि नहीं आज नहीं बता सकता। सीमांकन के समय आस-पास के किसान और पारिसलाल वगैरह उपस्थित थे। जमीन का सीमांकन दिनांक 6/05/12 को किया गया सीमांकन के बाद आवेदक की भूमि पर रकबा 0.004 हे० भूमि पर पड़ोसी कृषक गुणीराम का कब्जा व निस्तार करता है, आवेदक की भूमि पर है। सीमांकन प्रतिवेदन प्र०पी० 3 है।

19— किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि बिना कटे हुये नक्शे के किसी भी भूखंड का प्रापर सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में व्यक्त किया है कि उसने छोटे रकबा होने के कारण सीमांकन की फिल्ड बुक एवं नक्शा नहीं बनाया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि कोई भी सीमांकन तभी पूर्ण माना जाता है, जब सीमांकन का नक्शा एवं फिल्डबुक बनाई जावे। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि सीमांकन में जब सीमांकन का नक्शा एवं फिल्डबुक तैयार नहीं की जाती, तो उस सीमांकन को विधिवत् सीमांकन की श्रेणी में

नहीं रखा जाता। इस प्रकार स्वयं जो सीमांकनकर्ता है उसके द्वारा ही सीमांकन को विधिवत् नहीं माना गया है।

20— क्योंकि यह गवाह सीमांकन प्रतिवेदन का गवाह है और इस गवाह के द्वारा नक्शा, सीमांकन फिल्ड बुक नहीं बनाया जाना, जबकि वादी साक्षी पारिसलाल के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया जाना कि सीमांकन प्रतिवेदन के साथ फिल्ड बुक और नक्शा बनाया गया था और इस गवाह के द्वारा नहीं बनाया जाना, व्यक्त करना उक्त दोनों साक्षी के कथन विरोधाभाषात्मक कथन है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि का मौके पर जाकर सीमांकन किया गया है।

21— वादी ने अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत देवीलाल विरुद्ध अर्जुनलाल 1999 आर0एन0 135-136 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पटवारी एवं आर0आई0 द्वारा सीमांकन किया जा सकता माना गया है। किन्तु इस प्रकरण में पटवारी के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि गिरधारी वल्द कुंवरलाल द्वारा रकबा 0.004 आरे पर अवैध कब्जा कर कास्त एवं निस्तार किया जा रहा है जबकि गिरधारी की वर्ष 2009 में ही मृत्यु हो चुकी है। साथ वाद पत्र की कंडिका 3 में भी प्रतिवादी क्रं. 1 के पति एवं 2 से 4 के पिता को सूचना देकर विधिवत् सीमांकन किया गया है। जबकि सीमांकन दिनांक 06/05/2012 को किया गया है और गिरधारी की मृत्यु 2009 में हुई है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति को सूचना देकर विधिवत् सीमांकन किया जाना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

22— वादी ने अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत मुरलीधर विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवन्यू एम.पी. आई.एल.आर (2013) एम.पी. उक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार तहसीलदार द्वारा सीमांकन किया गया है अंतिम माना गया है। किन्तु उक्त प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों न्याय दृष्टांत की तथ्य व परिस्थितियाँ भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

23— प्रतिवादी ने अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रामसुशिल शर्मा वि0 श्री हरभजन तिवारी तथा अन्य 210 रा.नि. 259 जिसके अनुसार कार्यवाही से पूर्व सीमावर्ती कथन से कृषक को सूचना देना विधिक अपेक्षा है। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भूरूलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2014 रा.नि. 303, के अनुसार भूमि स्वामी के किसी भाग पर निकटवर्ती कृषक का कब्जा पाया गया क्षेत्र पंजी में नहीं दर्शाया गया। ऐसा सीमांकन संदेहास्पद है स्थिर नहीं रखा जा सकता। उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में प्रतिवादी पक्ष को उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ प्राप्त होता है।

24— यदि वास्तविक रूप से पटवारी द्वारा विधिवत् सीमांकन किया गया है

तो उक्त संबंध में वादी राजस्व न्यायालय से अभिलेख बुलवाकर न्यायालय में प्रमाणित कराकर पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन को विधिवत् माना जा सकता। उक्त सीमांकन में विधिवत् किया गया है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन कर तहसीलदार आमला के आदेश से पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया है, वह स्थिति स्पष्ट करा सकता था। किन्तु वादी के द्वारा पटवारी द्वारा किए गए सीमांकन को भी न्यायालय में आहुत नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा विधिवत् सीमांकन किया गया है।

25— वादी साक्षी नारायण (वा0सा0-5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पारिसलाल की भूमि है। उसका सीमांकन हुआ था उसे पटवारी ने दोनों पक्ष को सीमांकन की सूचना देने को कहा था और दोनों को सूचना दी गई थी। उसके द्वारा गांव के आजु-बाजू के कृषक को सीमांकन की सूचना दी गई थी। वह सीमांकन के समय उपस्थित था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि पारिसलाल के कौन से खसरा नं0 की जमीन नापी गई वह नहीं बता सकता। जब इस गवाह को यह नहीं मालूम कि कौन से खसरा नं0 की भूमि नापी गई है, तो यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण का अनाधिकृत रूप से कब्जा पाया गया।

26— वादीगण ने अपने समर्थन में सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी0 3 का दस्तावेज जो कि प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ग्राम तोरनवाड़ा प0ह0नं0 2/4 रा0नि0मं0 आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं 268/3 रकबा 0.018 हे0 भूमि का सीमांकन आवेदक पारिसलाल वल्द साहबलाल उपस्थित पड़ोसी भूमि स्वामी सुखलाल, गुणीराम वल्द गिरधारी उपस्थित रहे, पड़ोसी कृषक गुणीराम, गिरधारी वल्द कुंवरलाल द्वारा रकबा 0.004 आरे पर अवैध कब्जा कर कास्त एवं निस्तार किया जाता है, का उल्लेख है। उसी प्रकार पंचनामा भी उल्लेख है, जो कि गिरधारी की उपस्थिति में सीमांकन किया जाना दर्शित किया गया है और वादी ने अपने वाद पत्र की कंडिका 3 में भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कं 1 के पति एवं 2 के पिता को सूचना देकर विधिवत् सीमांकन किया गया। जबकि स्वयं वादी साक्षी बलदेव ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्वीकार किया है कि सीमांकन के पहले गिरधारी की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी0 3 मरे हुये व्यक्ति के समक्ष बनाया जाना संभव नहीं है यदि मरे हुये व्यक्ति के समक्ष ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है तो वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि पर उपस्थित होकर विधिवत् सीमांकन किया गया हो।

27— वादी साक्षी मधु (वा0सा0-3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे. भूमि देखी है।

करीब एक वर्ष पूर्व वादीगण ने उक्त भूमि का सीमांकन कराया था। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि वह झगड़े वाली जमीन का खसरा, रकबा नहीं बता सकता, उसे उतना नहीं मालूम। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने उसके शपथ पत्र में झगड़े वाली जमीन को खसरा और रकबा नहीं मालूम है इसलिए उसने अपने शपथ में खसरा और रकबा नहीं लिखाया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में यह व्यक्त किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उक्त सीमांकन किस दिनांक को और किस वर्ष को हुआ था। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि पारिसलाल के मकान की लंबाई चौड़ाई कितनी जगह में बना है, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह को विवादित भूमि का खसरा नं. और रकबा नहीं मालूम, चतुरसीमा नहीं मालूम और सीमांकन कब किया गया था, वह नहीं मालूम। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि इस गवाह के समक्ष सीमांकन कब किया गया था।

28— प्रतिवादी साक्षी कौशल्याबाई (प्र0वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि ग्राम कोटवार एवं पटवारी हल्का द्वारा पारिसलाल के विवादित जमीन की नपाई में उसको तथा उसके लड़कों को कोई सूचना नहीं दी गई और उसके सामने और मौके पर पारिसलाल के जमीन की नपाई की नहीं की गई। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में स्वीकार किया है कि जब पारिसलाल के जमीन की नपाई हुई थी जो चार पांच दिन बाद पता चला था। उस संबंध में उसने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष सीमांकन नहीं किया गया।

29— प्रतिवादी साक्षी गेन्दलाल (प्र0वा0सा0-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके देखते मौके पर आर0आई0 पटवारी ने कभी विवादित जगह पर जमीन की नपाई नहीं की है। उनकी जमीन भी नहीं नापी है और न ही पारिसलाल की जमीन नापने आ रहे हैं। ऐसी कोई सूचना कभी आर0आई0 पटवारी ने न तो उसे और न ही कौशल्याबाई वगैरह को दी है। पारिसलाल एवं बलदेव पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने आर.आई. पटवारी से मिलकर झूठे जमीन नपाई के कागज बना लिये हैं। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उसके भाई गिरधारी द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करना बताया है। वो रिपोर्ट सन् 2012 की है जबकि उसके भाई गिरधारी की मृत्यु सन् 2009 में ही हो गई है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में अस्वीकार किया है कि पारिसलाल द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के बाद भूमि की नपती कराई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि भूमि नपती के लिए पटवारी या आर0आई0 आए थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि भूमि नपती के कोई कागजात बनाए थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आर0आई0 और पटवारी ने उक्त भूमि नाप कर कौशल्याबाई का अवैध कब्जा पाया था।

आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि पटवारी और आर०आई० ने उक्त भूमि के नपवाई के कागजात बनाए थे। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

30— प्रतिवादी साक्षी चिन्धु पुण्डे (प्र०वा०सा०-३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके देखते मौके पर कभी भी आर०आई० पटवारी पारिसलाल वगैरह की जमीन की नपाई करने नहीं आये और न ही कौशल्याबाई वगैरह की जमीन ही नापी गई है। पारिसलाल वगैरह पैसे वाले आदमी है इन लोगों ने आर०आई० और पटवारी से मिलकर झूठी नपाई के कागज बना लिये हैं। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में अस्वीकार किया है कि उसके सामने आर०आई० और पटवारी ने उक्त जमीन नपाई के कागजात बनाए थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में अस्वीकार किया है कि पटवारी, आर०आई० ने उक्त भूमि की नपाई की थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आर०आई० और पटवारी के द्वारा उक्त विवादित भूमि की कोई नपाई नहीं की थी।

31— प्रतिवादी साक्षी श्रीराम कापसे (प्र०वा०सा०-४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पारिसलाल द्वारा जमीन नपाने की कोई जानकारी नहीं है जमीन कभी नापी ही नहीं गई है। जमीन नपाई के कागजात में पटवारी ने गिरधारी द्वारा कब्जा करने के बाद लिखी है जबकि गिरधारी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है। इस प्रकार पटवारी का पंचनामा एवं प्रतिवेदन झूठा तथा गलत है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पारिसलाल ने उक्त भूमि खरीदने के बाद उसकी भूमि का सीमांकन या नपाई करवाई हो। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कौशल्याबाई ने उसकी जमीन की कभी नपाई करवाई है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आर०आई० और पटवारी के द्वारा उक्त विवादित भूमि की कोई नपाई नहीं की थी।

32— प्रतिवादी ने अपने समर्थन में प्र०डी० 1, प्र०पी० 2 किशतबंदी खतोनी वर्ष 2012-13 प्रस्तुत किया है। साथ प्र०डी० 3 का नक्शा प्रस्तुत किया है। प्र०डी० 4 प्र०पी० 5 पुलिस हस्तक्षेप अयोग की सूचना है। उक्त दस्तावेज विवादित भूमि के संबंध में नहीं है।

33— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वत्व, आधिपत्य की खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे० मौजा, तोरनवाड़ा, तह० आमला स्थित कृषि भूमि में से 0.004 हे० में अवैध कब्जा कर लिया है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से

किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण

34— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वत्व, आधिपत्य की खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 मौजा, तोरनवाड़ा, तह0 आमला स्थित कृषि भूमि में से 0.004 हे0 में अवैध कब्जा कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण विवादित भूमि में कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण

35— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वत्व, आधिपत्य की खसरा नं. 268/3 रकबा 0.018 हे0 मौजा, तोरनवाड़ा, तह0 आमला स्थित कृषि भूमि में से 0.004 हे0 में अवैध कब्जा कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण विवादित भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

36— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिकठी एवं आज्ञा पारित की जाती है।

- 1— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
- 2— वादीगण स्वयं का तथा प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
- 3— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।
उपरोक्तानुसार आज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

